दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 28.02.2025

सि.वि.(मु) 256/2025 और सि.वि.आ. 7655/2025 अंतरिम राहत
[CM(M) 256/2025 & CM APPL. 7655/2025 INTERIM RELIEF]

प्लैनेट कास्ट मीडिया सर्विसेज लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री अंशु महाजन, अधिवक्ता।

बनाम

केनरा बैंक और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री एकांत लूथरा, श्री कुणाल शर्मा, श्री शिवांग शर्मा, प्रत्यर्थी-1 के लिए अधिवक्तागण।
सुश्री शैलजा सिंह, प्रत्यर्थी-2 के लिए अधिवक्ता।
श्री अभिषेक सिंह, सुश्री ईशा श्रीवास्तव, श्री जय चौधरी और श्री प्रमार्थ गुप्ता, प्रत्यर्थी-3 के लिए अधिवक्तागण।

कोरम:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री रविंदर डुडेजा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>रविंदर डुडेजा, न्यायमूर्ति</u>

1. प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने उत्तर दाखिल कर दिया है, किन्तु वह डिजिटल अभिलेख का हिस्सा नहीं है।

2. इस चरण में, अधिवक्ता ने संक्षिप्त उत्तर की भौतिक प्रति दाखिल की। उसे अभिलेख पर ले लिया गया है।

3. याचिका दिनांक 07.01.2025 को विद्वान जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय-02, एन.डी.डी. द्वारा सि.वा. (वाणिज्यिक) संख्या 691/2023 शीर्षक "केनरा बैंक बनाम प्लैनेटकास्ट मीडिया सर्विसेज लिमिटेड एवं अन्य भारत" में पारित आदेश को चुनौती देती है।

4. आक्षेपित आदेश दिनांकित 07.01.2025 के द्वारा, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की आदेश 15क सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 5 के अंतर्गत दायर आवेदन को ₹5000/- के जुर्माने के साथ निरस्त कर दिया था। उक्त आदेश वर्तमान याचिका में चुनौती के अधीन है।

5. अनावश्यक विवरणों को हटाते हुए, वर्तमान याचिका के निपटान हेतु संक्षिप्त प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध ₹1.36 करोड़ की वसूली हेतु वाद दायर किया, क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 3 (वादी का खाता धारक/उधारकर्ता) द्वारा उक्त राशि की देयता के निर्वहन हेतु उसके पक्ष में जारी किए गए चेक, उक्त राशि को पूरा करने हेतु (खाते में) कोई शेष

न होने के बावजूद, तकनीकी त्रुटि के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा आहत कर दिए गए।

6. अपनी लिखित बयान में, याचिकाकर्ता ने यह प्रतिरक्षा ली कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं था, वाद पक्षकारों के अनुचित संयोजन के कारण खारिज किए जाने योग्य था और न्यायालय को वाद की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं था।

7. वादपत्रों की कार्यवाही पूर्ण होने पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.10.2024 को निम्नलिखित मुद्दों का निर्धारण किया :-

> 1. क्या वाद, प्रतिवादी संख्या 1 के लिखित बयान की प्रारंभिक आपत्ति संख्या 3 के परिप्रेक्ष्य में, ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 2(ग) सहपठित धारा 17 एवं 18 द्वारा बाधित है? यदि हाँ, तो उसका प्रभाव क्या होगा? – प्रतिवादी संख्या 1 पर भार (OPD1)
> 2. क्या वादी, प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 से ₹1,36,00,000/- की वसूली करने का अधिकारी है? – वादी पर भार (OPP)
> 3. क्या वादी, प्रतिवादियों से ब्याज की वसूली करने का अधिकारी है? यदि हाँ, तो किस दर पर और किस अवधि के लिए? – वादी पर भार (OPP)
> 4. राहत।

8. याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की आदेश XV-A के अंतर्गत निम्नलिखित दो अतिरिक्त मुद्दों के निर्धारण हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया :

"क्या वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच कोई संविदात्मक संबंध है? – प्रतिवादी संख्या 1 पर भार

क्या वाद, पक्षकारों के अनुचित संयोजन के कारण खारिज किए जाने योग्य है? – प्रतिवादी संख्या 1 पर भार"

9. परीक्षण न्यायालय ने यह माना कि पूर्व में निर्धारित मुद्दा संख्या 2, याचिकाकर्ता के उत्तरदायित्व संबंधी निष्कर्षों का पूर्वानुमान करेगा कि याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी-बैंक को उक्त राशि का भुगतान करना है अथवा नहीं, और ऐसा निष्कर्ष याचिकाकर्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच संविदात्मक संबंध के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व संबंधी निवेदन पर निर्णय को भी सम्मिलित करेगा। दिनांक 07.01.2025 के आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नलिखित रूप में उद्धृत है :-

"उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मुद्दा संख्या 2 पहले ही इस संबंध में निर्धारित किया जा चुका है कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 से ₹1,36,00,000/- की वसूली करने का अधिकारी है या नहीं, तथा उक्त मुद्दे का प्रारंभिक भार वादी पर रखा गया है। यह स्वतः स्पष्ट है कि मुद्दा संख्या 2 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 की इस उत्तरदायित्व पर निष्कर्ष का पूर्वानुमान करेगा कि उसे वादी-बैंक को उक्त राशि का भुगतान करना है अथवा नहीं, और ऐसा निष्कर्ष वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच संविदात्मक संबंध के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व संबंधी निवेदन पर भी निर्णय को सम्मिलित करेगा। इस प्रकार, यह न्यायालय वादी-बैंक की ओर से प्रस्तुत तर्कों से सहमत है कि इस संबंध में कोई पृथक मुद्दा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार, वर्तमान वाद में प्रतिवादी संख्या 1 के अनुचित संयोजन के आधार पर वाद की खारिजी से संबंधित कोई पृथक मुद्दा निर्धारित करने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पूर्णतः निराधार पाया गया है, जिसने न केवल वर्तमान कार्यवाही के विचारण में विलंब

> किया है बल्कि इस न्यायालय के बहुमूल्य समय की भी हानि की है। अतः ऐसे प्रार्थना-पत्र को कठोरता से निपटाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ₹5,000/- के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है, जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी-बैंक को देय होगा, तथा जुर्माने के भुगतान की रसीद इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अभिलेख पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा विधि के अंतर्गत उपयुक्त परिणाम भुगतने होंगे।"

10. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपने लिखित बयान के अनुच्छेद संख्या 1, 20, 23 तथा 26 में यह विशिष्ट प्रतिरक्षा ली है कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं है तथा वाद पक्षकारों के अनुचित संयोजन के कारण दोषपूर्ण है।

11. यह प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय को मुद्दों का निर्धारण इस प्रकार करना होता है कि प्रत्येक तथ्यात्मक एवं विधिक प्रस्ताव, जिसे एक पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया हो और दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार किया गया हो, एक पृथक मुद्दे के रूप में परिलक्षित हो।

12. प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच संविदा के अस्तित्व संबंधी कोई कथन वाद में नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि याचिकाकर्ता का दर्जा उन चेकों का लाभार्थी होने का है, जो प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किए गए हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच चेकों के

भुगतान अथवा अन्यथा संविदा के अस्तित्व संबंधी कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वादपत्र में स्वीकार/कथित नहीं किया गया है, और इसलिए पक्षकार संविदा अथवा संविदात्मक संबंध के अस्तित्व या अनस्तित्व के प्रश्न पर विवाद में नहीं हैं।

13. मुद्दों के निर्धारण का उद्देश्य यह है कि साक्ष्य, तर्क तथा निर्णय को किसी विशिष्ट प्रश्न से बाँध दिया जाए ताकि इस बात पर कोई संदेह न रहे कि वास्तविक विवाद क्या है। दीवानी वाद का सही निर्णय मुख्यतः मुद्दों के सही निर्धारण पर निर्भर करता है, जिससे वास्तविक विवादित बिंदुओं का सही-सही निर्धारण हो सके जिन्हें निर्णीत किया जाना आवश्यक है।

14. वाद के सही निर्णय हेतु मुद्दों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाता है कि पक्षकारों के बीच वास्तविक एवं महत्वपूर्ण मतभेदों को, जो वादपत्रों से स्पष्ट एवं निर्विवाद रूप से उभरते हैं, विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जा सके।

15. मुद्दे इतने स्पष्ट एवं अभिव्यक्तिपूर्ण होने चाहिए कि जिस विषय पर विचार किया जाना अपेक्षित है, वह पर्याप्त रूप से परिलक्षित हो सके।

16. लिखित बयान के अनुच्छेद संख्या 1, 20, 23 तथा 26 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने यह आपत्ति उठाई है कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं है, और इसलिए वाद याचिकाकर्ता के विरुद्ध पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण है तथा पक्षकारों के

अनुचित संयोजन के कारण याचिकाकर्ता के संबंध में खारिज किए जाने योग्य है।

17. किसी पक्ष द्वारा एकतरफा तथ्यात्मक कथन किए जाने पर भी मुद्दा उत्पन्न हो सकता है, भले ही दूसरे पक्ष द्वारा उसका विशेष रूप से खंडन न किया गया हो, यदि उसका मामले के निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो। अतः ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उस मुद्दे का निर्धारण करने के लिए पूर्णतः सक्षम है, जहाँ किसी एक पक्ष द्वारा ऐसा तथ्य कथित किया गया हो जिसका वाद के परिणाम पर निर्णायक प्रभाव पड़ता हो।

18. पूर्व में निर्धारित मुद्दा संख्या 2 एक सामान्य मुद्दा है, जो अधिकतर वादपत्र में किए गए राहत के दावे से संबंधित है। चूँकि लिखित बयान में विशिष्ट कथन किए गए हैं, मेरे विचार में याचिकाकर्ता द्वारा धारा 16 सहपठित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम का आदेश 15क, के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित दोनों मुद्दे आवश्यक हैं तथा लंबित वाद के समुचित निर्णय हेतु प्रासंगिक हैं।

19. उपरोक्त कारणों से याचिका स्वीकार की जाती है और दिनांक 07.01.2025 का विवादित आदेश, याचिकाकर्ता के आवेदन को ₹5,000/- के जुर्माने सहित खारिज करने की सीमा तक, अपास्त किया जाता है तथा निम्नलिखित दो मुद्दे तदनुसार निर्धारित किए जाते हैं :-

"क्या वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच कोई संविदात्मक संबंध है? – प्रतिवादी संख्या 1 पर भार

क्या वाद, पक्षकारों के अनुचित संयोजन के कारण खारिज किए जाने योग्य है? – प्रतिवादी संख्या 1 पर भार"

20. याचिका तदनुसार स्वीकार की जाती है।

रविंदर डुडेजा, न्यायधीश

28 फरवरी, 2025*/आईबी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*